

## पावर ग्रिड कोपॉरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड Power Grid Corporation of India Limited

सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Harvana-122007



CIN: L40101DL1989GOI038121

PGCIL/R/2019/50592

दिनांक: 22 January, 2020

SHRI BABULAL PANDIT,
VILLAGE - RATANPUR, POST OFFICE - JASIDIH,
DISTRICT — DEOGHAR, Pin: 814142
JHARKHAND

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 1 January, 2020 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्र मे वांछित जानकारी अनुलग्नक-। मे संलग्न है।

यदि आप केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुड़गांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

## श्री संजीव सिंह,

कार्यपालक निदेशक (सी एम जी) एवं अपील प्राधिकारी केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, "सौदामिनी", प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुड़गांव-122001, हरियाणा। ईमेल आईडी: sanjeev@powergridindia.com

फोन नंबर: 0124-2571962

धन्यवाद,

भवदीय,

410

(जसबीर सिंह)

वरिष्ठ महाप्रबंधक (के.आ.) व के.लो.सू.अधिकारी

Email id: <a href="mailto:cpio.cc@powergrid.co.in">cpio.cc@powergrid.co.in</a>

रमेशपलामह

Information Sought	Regarding Pay Fixation of Workmen / Supervisor appointed in the regular pay scale on or after 01.01.2017 in Power Grid Corporation of India Limited.
	In this connection, I require the following information:-
	Details of those S1 grade employees of the Power Grid Corporation of India Limited who have been paid salary arrears as per Wage Revision considering Fitment Benefit on their regularization on or after 01.01.2017 till 13.03.2019, but they left the services of the organization.
Reply	The information sought pertains to personal information of third party, the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest and which would cause unwarranted invasion of privacy of the individual. Hence the information is exempted from disclosure under Clause 8 (1) (j) of the RTI Act.

Tat they